समक्ष: उजागर सिंह, माननीय न्यायमूर्ति

रणबीर सिंह, - *अपीलकर्ता, बनाम*

हरियाणा राज्य- *प्रतिवादी*

रेगुलर फर्स्ट अपील संख्या न. 1968* का *185

11 मई 1989

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-एस. 149, ओ. 6. रूल 17- *उच्च न्यायालय द्वारा उच्च दर पर आकलित भूमि के लिए क्षतिपूर्ति - मालिक कम राशि का दावा करता है - उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दर पर दावे के लिए अपील ज्ञापन में संशोधन करने के लिए आवेदन - अपील के निर्णय के बाद किया गया आवेदन - ऐसे आवेदन की योग्यता - अदालत शुल्क में अच्छी कमी करने के लिए समय की मांग करने वाला दावेदार - दिया गया समय।*

अभिनिर्णित किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, आवश्यक संशोधन की अनुमति दी जाती है और संबंधित R.F.As में अपील के आधार को संशोधित माना जाता है और अपीलकर्ता याचिकाकर्ताओं को आज से 3 महीने के भीतर अदालत-शुल्क में कमी का भुगतान करने की अनुमति दी जाती है ताकि वे पूर्ण मुआवजे का दावा कर सकें।

(पैरा 2)

आदेश 6, नियम 7 के साथ आदेश *41 नियम* 3 और *22* धारा *151, 153, 149* और 114 और आदेश *47, सिविल प्रक्रिया* संहिता के नियम *1* के तहत *आवेदन यह अनुरोध करते हुए कि इस आवेदन को स्वीकार किया जा सकता है, आवेदक/अपीलकर्ता को अपील के ज्ञापन में संशोधन करने की अनुमति दी जाए ताकि वह 10,000 करोड़ रुपये का दावा कर सके। (ख) यदि आवेदक/अपीलकर्ता को न्यायालय शुल्क की बढ़ी हुई राशि के रूप में 7 रुपए प्रति वर्ग गज की दर से मुआवजा दिया जाए और आवेदक/अपीलकर्ता को न्यायालय शुल्क की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने की अनुमति दी जाए, तो इस माननीय न्यायालय द्वारा मुआवजे की बढ़ी हुई राशि और इस माननीय न्यायालय के दिनांक 12 मई, 1978 के निर्णय को वापस लिया जाए और संशोधित किया जाए ताकि अपीलकर्ता/आवेदक को इस माननीय न्यायालय द्वारा दी गई दर पर वैधानिक दरों पर 7 रुपये की राशिप्रति वर्ग गज*

मुआवजे और ब्याज के साथ अनुमति दी जा सके।

उपस्थित:

अमन ढैया। *अपीलकर्ता के लिए वकील।*

एस. वी. राठी। प्रतिवादी के लिए वकील।

निर्णय

उजागर सिंह, न्यायमूर्ति.

(1) यह आदेश 1986 के सीएम नंबर 149-सी-1 को 1968 के आरएफए नंबर 185 में, 1986 के सीएम नंबर 143-सी-1 में आरएफए नंबर 188 के आरएफए नंबर 188 में, 1986 के सीएम नंबर 136-सी-आई में 196 के सीएम नंबर 136-सी-आई का निपटारा करेगा। 1966 के सीएम नंबर 140-सी-आई में 1968 के आरएफए नंबर 234 में। 1966 का सी.एम. नं. 151-सी-1 में 1968 का आर.एफ.ए. नं. 304, 1986 का सी.एम. नं. 137-सी-आई, 1968 का आर.एफ.ए. नं. 342, 1986 का सी.एम. 1986 का सी.एम. नं. 85-सी-1 1973 का आर.एफ.ए. नं. 501, सी.एम. 1986 में 1973 के आर.एफ.ए. नं. 532, आर.एफ.ए. में 1986 के सी.एम. 1973 की संख्या 664, 1985 की सीएम संख्या 1642-सी-1, 1973 की आरएफए संख्या 668, 1986 की सीएम संख्या 708-सी-1 में 1975 की आरएफए संख्या 766, 1986 की सीएम संख्या 69-सी-आई, 1986 की सी.एम. 1976 के आर.एफ.ए. संख्या 390 में 1986 का सी.एम. नं. 1376-सी-आई, 1976 का आर.एफ.ए. नं. 431 में 1986 का सी.एम. नं. 84-सी-आई, 1986 का सी.एम. 1986 के सीएम नंबर 99-सी-1 में 76 के एक्स-ऑब्जेक्शन नंबर 63-सी-1 में आरएफए नंबर 563 में 1976 के सीएम नंबर 1405, 1979 के एक्स-ऑब्जेक्शन नंबर 38-सी-आई में आरएफए नंबर 1249 ऑफ 78, सीएम नंबर 1402-1

में 1976 के आर.एफ.ए. 1985 के सीएम नंबर 946-सी-आई में 1980 के आरएफए नंबर 2401 में। 1985 के आर.एफ.ए. नं. 2402 में 1985 के सी.एम. नं. 948-सी-आई, 1980 के आर.एफ.ए. नं. 2405 में सी.एम. नं. 949-सी-आई, 1985 के सी.एम. इन सभी मामलों में मुआवजे में वृद्धि की गई थी, लेकिन अपील में भुगतान किए गए अदालत-शुल्क की सीमा तक वृद्धि की गई थी और क्रॉस-आपत्तियों को भी अदालत शुल्क का भुगतान करने की सीमा तक अनुमति दी गई थी। इससे पहले, इसी तरह की स्थिति में 1985 के सीएम नंबर 1512 एलपीए में। 1982 की संख्या 235 को इस न्यायालय की पूर्ण पीठ को भेजा गया था। इसके परिणामस्वरूप, इन सभी याचिकाओं को 1982 के एलपीए संख्या 235 में 1985 के सीएम नंबर 1512 के फैसले के बाद सुनवाई करने का निर्देश दिया गया था। उक्त सिविल विविध मामले सुनवाई के लिए आए और 17 मई, 1988 को इस पर निर्णय लिया गया। पूर्ण पीठ, जिसका मैं एक सदस्य था, ने इस विषय पर कानून पर चर्चा करने के बाद निम्नानुसार निर्णय लिया: -

"इसलिए, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि दावेदार को अपील के अंतिम रूप से निपटाए जाने के बाद ज्ञापन के संशोधन का दावा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, न ही हम अपीलकर्ताओं को काल्पनिक अदालत-शुल्क का भुगतान करने और इस उम्मीद में अपील पेश करने की अनुमति दे सकते हैं कि वे बड़ी राशि के लिए दावा कर सकते हैं। इस प्रकार यद्यपि अपील को सुनवाई के लिए लेने या निर्णय सुनाए जाने से पहले, पार्टी आधार ज्ञापन में बदलाव या दावे को बढ़ाने के लिए कह सकती है और यदि उचित कारण हैं तो न्यायालय इसकी अनुमति दे सकता है और अपील का निपटारा होने के बाद डेफिसिट कोर्ट-फीस का भुगतान करने

> की अनुमति दे सकता है, वह मूल रूप से किए गए दावे से बड़ी राहत का दावा करते हुए आधार ज्ञापन में संशोधन करने का दावा नहीं कर सकते।

"जैसा कि पहले बताया गया, हमारे लिए यह देना भी संभव नहीं है कि इसे आगे निम्नानुसार रखा गया था: -

> ऐसी राहत क्योंकि यदि यह न्यायालय यह मानता है कि वे अपील के निपटान के बाद भी संशोधन के हकदार हैं और ऐसी राहत प्रदान करते हैं, तो किसी भी भूमि अधिग्रहण अपील में, अपीलकर्ता अदालत-शुल्क का भुगतान नहीं करेगा और वह पहले मुआवजे के निर्धारण की प्रतीक्षा करेगा और फिर प्रार्थना करेगा कि उसे अदालत के निर्धारण के अनुसार अदालत-शुल्क का भुगतान करने और मुआवजा प्राप्त करने की अनुमति दी जाए। उसे अपील में एक *प्रामाणिक* दावा करना होगा और राहत पाने के लिए उस पर अदालत-शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि किसी कारण से, निर्धारित बाजार मूल्य अधिक है और वह तीसरे पक्ष को दिए गए मुआवजे का दावा करने का हकदार है, तो वह उस आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगा, अपीलीय न्यायालय को संतुष्ट करेगा कि वह दावे के संशोधन का हकदार है, एक संशोधन के लिए कहेगा, जो उसे निचली अदालत के दोनों आधारों में संशोधन करने की अनुमति देकर अपीलीय न्यायालय द्वारा राहत दी जाएगी। अपीलीय न्यायालय के समक्ष आधार। लेकिन हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को लागू नहीं कर सकते हैं, हालांकि वह निर्णय भी उसी अधिग्रहण से संबंधित

है, लेकिन एक अलग पार्टी के संबंध में। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उच्चतम न्यायालय पीठ के निर्णय के विरुद्ध अपील कर रहा था और अपील में बैठा था, वे अपील के संबंध में उच्च न्यायालय को कोई निर्देश दे सकते थे, जो उनके समक्ष विषय-वस्तु है। वास्तव में उन्होंने उस मामले में अपील की अनुमति दी।

(सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संदर्भ *भाग सिंह और एक अन्य* बनाम*केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़*[1] दिया जाता है। अंततः, पूर्ण पीठ ने सिविल विविध को खारिज कर दिया, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं दिया, लेकिन सरकार को निर्देश दिया कि वह स्थिति पर ध्यान दे और मामले के फैसले के अनुसार इसे फिर से निर्धारित करने के बाद उनके द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार मुआवजा प्रदान करे और इसे *अनुग्रह* राशि के भुगतान के रूप में भुगतान करे और पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील दायर करने के लिए प्रेरित न करे। और यह निर्णय भटिंडा में सैन्य छावनी की स्थापना के लिए 9 अक्टूबर, 1974 की अधिसूचना के अनुसरण में किए गए अधिग्रहण के तथ्यों तक ही सीमित था।

(2) जहां तक 1982 (सुप्रा) के एलपीए संख्या 235 में 1985 के सिविल विविध संख्या 1512 की विचारणीयता का संबंध है, पूर्ण पीठ ने इसे ऊपर उल्लिखित कारणों के मद्देनजर सुनवाई योग्य नहीं माना। लगभग इसी तरह का दृश्य पहले *नन्द राम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य*[2] मे लिया गया था, 1984 के सिविल मिस्क सं. 692-सी-1 में 1982 के आरएफए संख्या 1389 में 11 फरवरी, 1985 को आई. एस. तिवाना, जे. द्वारा निर्णय लिया गया और उक्त सिविल विविध को खारिज कर दिया गया। इस मामले को नंद राम और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर

[1] A.I.R. 1985 S.C. 1576
[2] 1988 P.L.J. 506.

करके लिया था और अनुमति देने के बाद नंद राम और अन्य द्वारा दायर सिविल अपील पर सुनवाई की गई थी और यह देखा गया था कि अपीलकर्ताओं को अपील के ज्ञापन में संशोधन करने में सक्षम बनाया गया था ताकि अपीलकर्ताओं को उन लोगों को दिए गए मुआवजे के आधार पर उचित मुआवजे का दावा करने में सक्षम बनाया जा सके, जिनकी समान स्थिति वाली भूमि उसी अधिसूचना के तहत अधिग्रहित की गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा इस सिद्धांत पर कि राज्य उसी अधिसूचना के तहत अधिग्रहित भूमि के संबंध में उचित बाजार मूल्य पर मुआवजे का भुगतान करने से इनकार नहीं कर सकता है, उन भूमि मालिकों को दिए गए मुआवजे में परिलक्षित उचित बाजार मूल्य पर, जिनकी समान रूप से स्थित भूमि उसी तिथि की अधिसूचना द्वारा उसी उद्देश्य के लिए उसी अधिसूचना के तहत अधिग्रहित की गई थी। इस प्रकार, नंद राम और अन्य की अपील को स्वीकार कर लिया गया और उन्हें प्रार्थना के अनुसार मुआवजे का दावा करने का हकदार माना गया। वर्तमान मामले में 1968 की आर.एफ.ए. संख्या 185, 188, 190, 221, 226, 234, 304, 342 और 353 तथा कुछ अन्य R.F.As का निर्णय एम. आर. शर्मा, जे. द्वारा किया गया था, जैसा कि उन्होंने 12 मई, 1978 के एक आदेश द्वारा किया था और 7 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से मुआवजे की अनुमति दी गई थी। उपर्युक्त R.F.As में 1986 में दायर उपर्युक्त विभिन्न सिविल विविध याचिकाओं में अपील के आधार में संशोधन की अनुमति देने का अनुरोध किया जाता है ताकि अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता अदालत-शुल्क में कमी करके उपरोक्त दर पर मुआवजे का दावा कर सकें। सुप्रीम कोर्ट द्वारा *नंद राम और अन्य* (सुप्रा) के मामले में आवश्यक संशोधन की अनुमति दी जाती है और संबंधित R.F.As में अपील के आधार को संशोधित माना जाता है और अपीलकर्ता याचिकाकर्ताओं को आज से तीन महीने के

भीतर कोर्ट-फीस में कमी का पता लगाने की अनुमति दी जाती है ताकि वे ऊपर उल्लिखित मुआवजे और ब्याज के साथ दिए गए पूर्ण मुआवजे का दावा कर सकें।

(3) 1973 के R.F.As संख्या 449, 501, 532, 664 और सी 668 को 16 मई, 1979 को एक सामान्य निर्णय द्वारा 10 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से मुआवजे की अनुमति दी गई थी, लेकिन यह मुआवजा भूमि मालिकों द्वारा किए गए दावे और अदालत-शुल्क के भुगतान के बढ़ी हुई राशि के अधीन किया गया था। सिविल मिसलैनीअस याचिकाओ के उक्त आरएफए में ऊपर उल्लिखित विविध याचिकाओं में अपील के आधार में संशोधन की अनुमति देने और 1974 के आरजेएफए संख्या 247 में दी गई बढ़ी हुई राशि, मुआवजे और ब्याज का दावा करने का अनुरोध किया जाता है। इन सिविल विविध याचिकाओं को भी स्वीकार किया जाता है और संशोधन की अनुमति दी जाती है और संबंधित R.F.As में अपील के आधार को संशोधित माना जाता है ताकि अदालत-शुल्क में कमी का भुगतान आज से तीन महीने के भीतर किया जा सके ताकि याचिकाकर्ताओं को बढ़े हुए मुआवजे, मुआवजे और ब्याज का दावा करने में सक्षम बनाया जा सके।

(4) 1975 की आरएफए संख्या 766 का निर्णय 16 अप्रैल, 1979 को 1978 के आरएफए संख्या 228 में आदेशों के तहत किया गया था, जिसके तहत अपील में दावा भुगतान किए गए अदालत-शुल्क तक सीमित था। उक्त आरएफए में दायर उपरोक्त सिविल विविध याचिकाओं में अपील के आधार में संशोधन की अनुमति देने और बढ़ी हुई राशि का दावा करने का अनुरोध किया जाता है। इस सिविल विविध को भी अनुमति दी जाती है और 1975 के आरएफए संख्या 766 में अपील के आधार को संशोधित माना जाता है ताकि

याचिकाकर्ता को बढ़े हुए मुआवजे, मुआवजे और ब्याज का दावा करने के लिए तीन महीने के भीतर अदालत शुल्क में कमी को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके।

(5) 1976 के आरएफए संख्या 563 में क्रॉस ऑब्जेक्शन के साथ आरएफए नंबर 319, 385, 387, 390, 431, 436, 488, 514 का फैसला 215 ऑफ 1979 मई को 1976 के आरएफए नंबर 251 में दिए गए एक सामान्य फैसले द्वारा किया गया था। उपर्युक्त R.F.As में विभिन्न सिविल विविध याचिकाएं दायर की गई थीं और इन सिविल विविध याचिकाओं में अनुरोध यह भी किया गया है कि कम अदालत-शुल्क का भुगतान करके मुआवजे के साथ-साथ मुआवजे का दावा करने के आधारों में संशोधन करने की अनुमति मांगी जाए। इन सिविल विविध याचिकाओं को अनुमति दी जाती है और कम अदालत-शुल्क का भुगतान करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाता है और संबंधित R.F.As में अपील के आधार को संशोधित माना जाता है।

(6) 1978 के आरएफए संख्या 1249 को क्रॉस ऑब्जेक्शन के साथ 21 मार्च, 1980 को 1978 के आरएफए नंबर 1278 के साथ तय किया गया था। अपील के आधार में संशोधन करने की अनुमति के लिए उपरोक्त आरएफए में दायर सिविल विविध को अनुमति दी जाती है और आरएफए में अपील के आधार को संशोधित माना जाता है ताकि अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता को कम अदालत-शुल्क का भुगतान करके बढ़े हुए मुआवजे, मुआवजे और ब्याज का दावा करने में सक्षम बनाया जा सके और अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता को कम अदालत-शुल्क का भुगतान करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाए।

(7) 1978 के आरएफए सं 1974 पर 13 नवंबर, 1979 को निर्णय

लिया गया था जिसमें मुआवजे की राशि में गलती हुई थी। यहन
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा (1991)1

दिनांक 17 दिसम्बर, 1979 के आदेश *द्वारा गलती को सुधारा गया*। मुआवजे को 317.50 रुपये प्रति मारिया की उच्च दर तक बढ़ाया गया था, लेकिन यह दावा अपील के ज्ञापन में भुगतान की गई अदालत-शुल्क की राशि तक सीमित था। इस आरएफए में दायर सिविल विविध को भी अनुमति दी जाती है और अपीलकर्ताओं-याचिकाकर्ताओं को तीन महीने के भीतर कम अदालत शुल्क का भुगतान करने की अनुमति दी जाती है ताकि वे उक्त दर पर मुआवजे का दावा करने में सक्षम हो सकें।

(8) 1980 के आरएफए नंबर 2401, 2402, 2405, 2411 और आरएफए नंबर 2413 को 27 नवंबर, 1981 को 1980 के आरएफए नंबर 1842 में एक आम फैसले द्वारा तय किया गया था और फिर से बढ़े हुए मुआवजे को दावे की सीमा और उस पर भुगतान किए गए अदालत-शुल्क तक सीमित कर दिया गया था। इसी तर्क के आधार पर इन R.F.As में दायर सिविल विविध मामलों की अनुमति दी जाती है और याचिकाकर्ताओं को आज से तीन महीने का समय दिया जाता है ताकि अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता को अदालत के शुल्क का भुगतान करने में सक्षम बनाया जा सके ताकि उक्त दर पर बढ़े हुए मुआवजे का दावा किया जा सके।

(9) इन सभी सिविल विविध आवेदनों का तदनुसार निपटान किया जाता है।

1

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मंदीप सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) Gurugram, हरियाणा